IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

जंगली पशुओं एवं आवारा पशुओं से कृषि को होने वाली क्षति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (सतना जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी
प्राचार्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, निराला नगर रीवा (म.प्र.)
इन्द्रमणि कुशवाहा
शोधार्थी, भूगोल विभाग, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश : किसान का नाम आते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है जैसे खेती करने वाला, फसल उगाने वाला और पशु पालने वाला एक दम हष्ट–पुष्ट इंसान यही बहुत सारी चुनौतियों से जुझता हुआ खेती करता है और अपने आप में बहुत धार्मिक और दूसरों की सहायता को तत्पर रहता है। इन्ही चुनौतियों में एक सबसे विकराल चुनौती है आवारा पशुओं की। जिनसे उसे अपने खेतों की रखवाली भी करनी है और अपने आप को भी बचा के रखना है। कई बार ये आवारा पशु बहुत ही आक्रामक हो जाते है और ये किसान पर हमला भी कर देते है। जब कोई नौकरी करने वाला आदमी रात को भोजन करने के बाद अपने परिवार के साथ देश और दुनियां के राजनीति पर चर्चा कर रहा होता है, किसान ये किसान अपने खेत के चारो तरफ घूम–घूम कर खेत की रखवाली कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि उस किसान की ड्यूटी का समय नहीं होता और कई बार जब सर्दियों में पारा 2–3 डिग्री तक हो जाता है तब ये सुबह के 3–4 बजे तक खेत की रखवाली कर रहा होता है।

मुख्य शब्द : जंगली, पशुओं, आवारा, कृषि, क्षति, विश्लेषणात्मक,किसान, चुनौतियाँ आदि।

सतना जिले विश्व के मानचित्र पर फैली अक्षांश व देशान्तर रेखाओं के बीच सप्तद्वीपीय वसुंधरा के व्यापक क्षेत्र में एशिया में भारतीय संसदीय गणराज्य के हृदय स्थलीय म.प्र. के सतना जिला स्थित है।

सतना जिला म.प्र. का एक प्रमुख जिला है। इसका मुख्यालय सतना है। सतना जिला रीवा सम्भाग के अन्तर्गत आता है। मुख्यालय के शहर के नाम पर सतना जिले का नाम रखा गया है। इसकी सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश के बॉदा जिले के पूर्वी सीमा, रीवा जिले के त्योथर, सेमारिया, हुजूर तहसील से सीधी जिले के गोपद बनास तहसील से लगी हुई जिले की सम्पूर्ण पश्चिमी सीमा पन्ना जिले तथा दक्षिणी सीमा कटनी जिले के मुरवाड़ा तथा उमारिया जिले के बाधवगढ़ तहसील और सतना जिले के व्यौहारी तहसील से लगी हुई है।

विस्तार :– सतना जिला की भौगोलिक स्थित 23°58′ उत्तरी अक्षांश 25°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 80°21′से 81°23′ पूर्वी देशान्तर तक हुआ हैं। यह समुन्द्र तल से 317 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ हैं। इस क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 890 किलोमीटर हैं।

इस जिले का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 7502 वर्ग कि०मी० में फैला हुआ हैं। जो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का लगभग 1.67 % हैं। सतना जिले की जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1870104 जिसमे से पुरूष 971396 एंव महिला 898708 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2228935 हैं, जिसमें से पुरूष 1157495 और महिला 1071440 हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

इस जिलें की जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार, 251 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० एवं 2011 के अनुसार जनगणना घनत्व 300 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या का साक्षारता 64.60 % हैं, और महिलाओं का 47.01 प्रतिशत हैं जो नगरीय साक्षारता का कुल प्रतिशत 77.90 हैं जिसमें पुरूषों की साक्षरता 87.21 एवं स्त्री की साक्षारता प्रतिशत 68.17 रही हैं 2001 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का ग्रामीणों में पुरूषों का 82.2 % रहा हैं जबकि ग्रामीण पुरूषों एवं महिलाओं का साक्षारता 52.3 प्रतिशत हैं, ग्रामीण पुरूषों एवं महिलाओं का साक्षारता 66 प्रतिशत हैं, जबकि नगरीय साक्षारता % पुरूष का 90 प्रतिशत एंव महिलाओं का साक्षारता 77 प्रतिशत, कुल 83.5 प्रतिशत रहा हैं। अतः कहा जाय कि इस जिले की ग्रमीण कुल ग्रामीण पुरूषों एंव महिलाओं का साक्षारता 74.75 प्रतिशत हैं।

परिभाषा – आवारा गाय या आवारा पशु गाय, बैल और भैंस जैसे जानवर हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उन्हें **"आवारा"** पशु कहा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र :–कृषि नवप्रर्वतन का अध्ययन करने से पहले शोध क्षेत्र का भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। कृषि सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर भौगोंलिक कारको का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

नासूर बन रहे आवारा पशुः–

शहर की तमाम सड़कों पर बैठने वाले ये आवारा पशु स्थानीय जनता के लिए नासूर बने हुए हैं। तकरीबन हर दुपहिया वाहन चालक को इनके बैठने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए ये आवारा पशु नासूर बने हुए हैं। इनके खौफ से लोग सड़कों पर चलने से भी अब गुरेज करने लगे हैं।

यहां रहता है जमावड़ा :– सतना जिले के रीवा–सतना हाई–वे रोड, सतना बस स्टैण्ड, सब्जी मण्डी एवं किसानों के खेत आदि ऐसे प्रमुख स्थान हैं, जहां पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। जो कि आने–जाने वाली जनता के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं।

आवारा पशु बने जानलेवा

वर्तमान समय में हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि आवारा पशु बच्चों सहित पैदल जा रहें लोगों को भी नहीं बख्शतें। पहले से चल रहे आवारा कुत्तों की समस्या को पिछलें कुछ समय से आवारा पशुओं ने और अधिक गंभीर जानलेवा बना दिया हैं। ये आवारा पशु जिसमें अधिकतर बूढ़ी, बीमार तथा दूध न देने वाली गायें तथा साड़ होते हैं। जो खेती बाड़ी के लायक भी नहीं होते हैं। रेहड़ा खीचने, भार ढोने जैसे अन्य कार्यों के लिए भी इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये केवल खाते हैं। हरा चारा, लोगों द्वारा डाली गई सूखी रोटियां, गलियों तथा बाजारों के गंदे लिफाफे, अन्य गंदी चीजें, जो भी मिलें भूख की मजबूरी के कारण ये सब कुछ चट कर जाते हैं। जरूरत अनुसार पौष्टिक आहार न मिलने के कारण इनका जीवन तरस योग्य उससे भी डरावना है। कई बार दुकानदारों, रेहड़ियों पर सब्जियाँ–फल बेचने वालों तथा किसानों को पशुओं से बचने के लिए मजबूरन लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ता हैं। खेतों की रक्षा के लिए बहुत से किसानों ने निजी तौर पर या गांव के समूह में लोगों द्वारा वेतन पर पहनेदार रखें हुए हैं, जो आवारा पशुओं को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांवों तथा कस्वों की ओर भगाने का काम करते है। इन पशुओं को लेकर कई बार आपसी झगड़ें भी हो जाते है।

मवेशियों का परित्याग इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण संसाधन होने के साथ ही पोषण सुरक्षा में योगदान और स्थानीय आजीविका को मजबूती देते हैं। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 को जारी 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार सतना जिले में 80 हजार से अधिक आवारा मवेशी हैं। आवारा मवेशियों में गाय, बैल या

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

बछड़े मुख्य रूप से शामिल होते हैं जिन्हें अनुत्पादक होने के कारण छोड़ दिया जाता है। इनमें कम दूध देने वाली गाय भी शामिल हैं, जिनके ज्यादातर मालिक शहरों में रहने वाले होते हैं। ये मालिक दिन के समय अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं। जिले में आवारा मवेशी जहां शहरों में यातायात की परेशानी का कारण का बनते हैं, वहीं गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस अध्ययन क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि छुट्टा मवेशियों को गोशालाओं में रखना पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनी गोशालाएं अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। पशुधन बताती है कि आवारा मवेशियों की सबसे अधिक आबादी वाले 11 तहसीलों में 5 तहसीलों में 2015 से 2020 के बीच इनकी संख्या बढ़ी है। अतः राज्य सरकार आवारा पशुओं को कम करने के लिए अपनी रणनीति को व्यापक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले आवारा पशुओं की अपनी समझ में सुधार की जरूरत है। खासकर उन उपेक्षित नस्लों को समझना जरूरी है जिन्हें लोकप्रिया नस्लों के सामने दरकिनार किया गया है।

अवसर मिलते ही से आवारा पशु खेतों में खड़ी फसलों में घुस जाते हैं। वही फसलों में मुंह मारकर उन्हें खराब कर देते हैं। जिसके कारण फसलें खराब होती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इन पशुओं में सांड के अलावा नील गाय मुख्य रूप से शामिल हैं।

सतना जिले में वर्तमान में 52 शासकीय और 16 निजी गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं में लगभग 16 हजार मवेशी रखे गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार शासकीय गौशालाओं में लगभग 8000 मवेशी मौजूद हैं। शेष मवेशी निजी संस्थाओं की गौशालाओं में हैं। सतना जिले की सड़कों पर निराश्रित मवेशियों की संख्या लगभग 15 हजार है, इनमें गाय एवं बैल दोनों को शामिल किया गया है। इन मवेशियों का विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र के मवेशियों को गौशालाओं में रखने की पर्याप्त जगह है। इस संबंध में गौशाला संचालकों से चर्चा भी कर ली गई है। इन मवेशियों की वजह से सुगम यातायात भी बाधित हो रहा है।

सारणी क्रमांक 01 सतना जिले में आवारा पशुओं की संख्या 2022

क्रमांक	विवरण	आवारा पशुओं की संख्या
01.	गाय	8000
02.	बैल	7000
	कुल	15000

स्रोत :– पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताए गए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

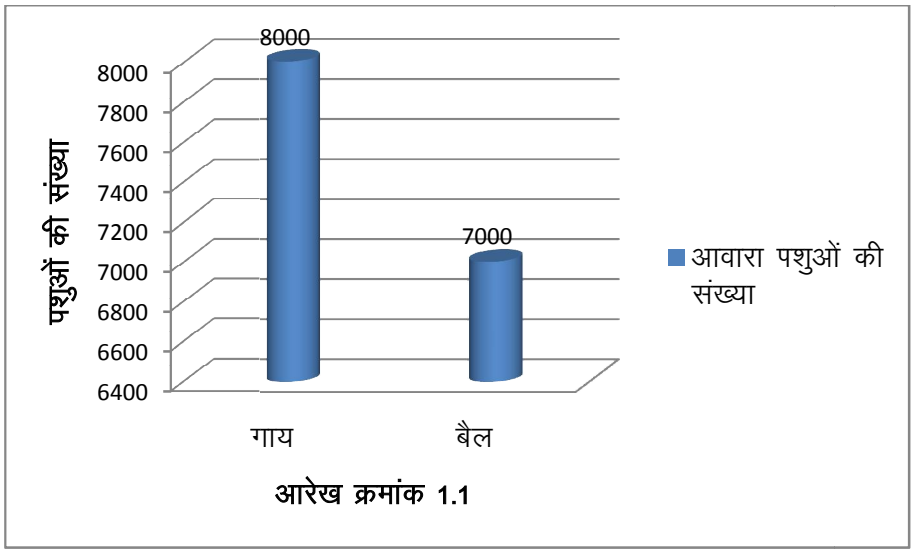

आरेख क्रमांक 1.1

गौरक्षा का बहाना – जब से केन्द्र तथा राज्य सरकार अस्तित्व में आई तब से **'गौरक्षा'** के बहाने जहां आवारा पशुओं की संख्या में भारी संख्या में वृद्धि हुई है वहीं 'गौहत्या' के नाम पर तथाकथित 'गौरक्षकों' तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अन्य संगठनों द्वारा मुसलमानों, दलितों तथा आदिवासियों पर हमलों की गिनती खतरनाक हद तक पहुंच गई है। आवारा पशुओं की सेवा के लिए सरकार अथवा समाजसेवी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही गौशालाएं, कांजी हाऊस आदि में से अधिकतर में पशुओं की हालज अत्यंत दयनीय है। आवश्यक खुराक, दवा तथा सफाई की कमी के कारण बड़ी संख्या में पशु मर जाते हैं।

चित्र क्रमांक 1 म.प्र. के सतना में बाजार में सड़क पर घूमती आवारा गाय

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मनुष्यों और फसलों पर आवारा गायों के हमले निवासियों के लिए एक मुद्दा है। आवारा पशु शहरी क्षेत्रों में यातायात में बाधा बनते हैं और अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण और सार्वजनिक स्थानों पर फेंके गए कचरे की समस्या, आवारा पशुओं के लिए खतरा पैदा करती है जो कचरा खाते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने का कारण :–

कृषि उद्योगों में बढ़ते मशीनीकरण ने भी मवेशियों को कामकाजी जानवारों के रूप में उपयोग से बाहर कर दिया है, और मवेशियों को त्यागने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। सतना जिले में गोहत्या पर प्रतिबंध है और इसके लिए लंबी कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। गोरक्षा द्वारा गिरफतारी, उत्पीड़न और पीट–पीट कर हत्या के डर से गायों का व्यापार कम हो गया है। एक बार जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो गाय को खिलाना और उसका रख रखाव करना किसान पर वित्तीय बोझ बन जाता है, जो उनके रख रखाव का खर्च वहन नहीं कर सकता। ऐसे में जिन पशुओं को किसान बेचने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अंततः भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है।

सतना जिला के किसानों से चर्चा :–

जब जिले के स्थानीय किसानों से आवारा पशुओं के सन्दर्भ चर्चा किया गया तो उन्होनें बताया कि जब हल बैलों से खेती की जाती थी आज आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है। अभी तक कृषि कार्य ओला, पाला, आग एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था, किन्तु इन सभी आपदाओं में सरकार द्वारा कुछ मुअवजा दिया जाता था जिससे छति का सम्पूर्ण भार किसान पर नहीं पड़ता था। यदि किसी से कर्ज लेकर कृषि की गई है तो किसान कर्जदार भी हो जाता है। किन्तु आज के समय में आवारा पशुओं का प्रकोप इतना विकराल रूप धारण कर लिया गया है कि मचान बाध कर दिन–रात रखवाली करनी पड़ती है, बीज बोने से लेकर फसल घर आने तक यह डर लगा रहता है कि किस समय हमारे फसल को नष्ट कर दें। थोड़ी सी चूँकि सारी फसल और मेहनत एवं पूँजी सब नष्ट हो जाता है। साथ ही फसलों को खाते भी हैं और अपने नुकीलें खुरों से नष्ट भी कर देते हैं।

सतना जिले के किसानों का कथन :–

ग्राम भरहुत तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) में हम एक गोष्ठी का आयोजन किए जिसमें गांव के कई किसानों ने बढ़कर हिस्सा लिया एवं किसानों का कथन है कि यह समस्या स्थानीय किसानों द्वारा उत्पन्न की गई है, क्योंकि आज जब से ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई, बुवाई व गहाई होने लगी हैं। तब से इन मवेशियों की उपयोगिता भी न के बराबर हो गई है। अतः सभी किसान इन्हें घरों में रखने की जगह ऐरा छोड़ दिए और यह आज विकराल समस्या का रूप धारण कर लिए हैं। लोगों का शहरों की ओर अग्रसर होना तथा नगरीकरण का विस्तार एवं चारा गाहों की न्यूनता, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरों से मवेशियों को शहरों के बाहर छोड़ दिया जाना भी वृद्धि का कारण है। और जो पशु जंगलों एवं पहाड़ों में चरने जाते थे, उन्हें अब रोक दिया गया है। तथा पहाड़ों तथा जंगली क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया है। अतः अब यह पशु सीधे खेत की ओर रूख कर रहे है। ये आवारा पशु झुण्ड में रहते हैं। दिन में झाड़ियों एवं पेड़ो की छाया लेते हैं, जलाशयों से पानी पीते हैं। तथा रात्रि में समूहों में खेतों की ओर दौड़ लगा देते हैं। तथा कमजोर जगह तार–बाड़ी को तोड़ देते हैं। तथा मिनटों में फसल चट का जाते हैं, और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि इन आवारा पशुओं को गौशाला में ले जाते हैं, तो वहां प्रबंधक 500 रू. ले लेते हैं, और या तो उन्हें भूखों मरने के लिए मजबूर किए रहते हैं या फिर छोड़ देते हैं। जो फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में पैसे भी चले जाते हैं, और इनसे कोई छुटकारा भी नहीं मिल पाता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

आवारा पशुओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्र

सतना रेल्वे स्टेशन पर आवारा पशुओं का होना आम बात हैं। पशुओं सहित ये आवारा जानवार जिले के अधिकांश क्षेत्रों में लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। साथ ही ये आवारा पशु रेल्वे ट्रैक पर घूमतें हुए आ जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जिससे आवागमन बाधित हो जाता हैं। जिससे ट्रेनों को कई–कई घंटे रूकना पड़ता है, और यात्रा कर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता हैं। सतना रेल्वे अधिकारियों के अनुसार, ''कैटल रन ओवर'' की घटनाओं से परिचालन कई घंटों तक बाधित होता है, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ने से पहले ट्रैक से शव को हटाना होता है। इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए कंक्रीट प्रबलित कंटीले तारों से रेल्वे लाइनों की बाड़ लगाने का सुझाव दिया गया है।

शहरों में आवारा गायें अक्सर सड़क दुर्घनाओं का कारण बनती जा रही हैं।, जहां वे सड़कों पर भीड़ लगाती हैं वहां पैदल चलने वालों वाहनों पर गाय के हमले अक्सर जानलेवा हो जाते हैं। सड़क पर खड़ी गायें भारत के लगातार घातक सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। मवेशियों का गोबर पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के लिए भी सड़क खतरा पैदा करता है, जो उस पर फिसल सकते हैं।

आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान

आवारा पशुओं द्वारा प्रत्येक फसल को नुकसान होता है, चाहे वो आवारा पशु खाएं या खेत में बैठ जाये, निकल जाये इससे हर हाल में किसान का नुकसान होता है। जैसे वर्तमान समय में गेहूं, सरसों, मसूर की फसल अंकुरित हो रही है और आवारा पशु गेहूं की पौधे को खा जाती हैंस, तो किसान दुवारा खेत में बीज को छीटकर वो देता और किसान पौधे को बड़े होने का इन्तजार करता है, सामान्यतः इन छोटे पौधे को आवारा पशु नहीं खाते लेकिन जब भूख से आवारा पशु पीड़ित होते है और कुछ खाने को न हो तो वो कुछ भी खा जाते है।

यह जिम्मेदारी सरकारों तथा सारे समाज की है कि वे आवारा पशुओं के कहर से आम लोगों को बचाएं। इन आवारा पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था की जाए या किसी ढंग से सामान्य लोगों को आवारा पशुओं से घूमते पशुओं से छुटकारा दिलाया जाए। सम्भालाने वाले पशुओं में से उन पशुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो दूध देने योग्य हों अथवा अपनी वंश वृद्धि करने में सक्षम हों।

इसके अतिरिक्त यदि आवारा पशुओं को खेतीबाड़ी से जुड़े या ढुलाई जैसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके तो उनकी देखभाल की जानी चाहिए। एक ऐसे देश में जहां हर वर्ष है हजारों लोग भूख से मरते हों, गरीब के लिए घर के गुजारे हेतु पालतू पशुओं के लिए चारा मोल लेना भी मुश्किल हो, वहां बड़ी संख्या में अनावश्यक आवारा पशुओं के लिए चारे से पेट भरने की व्यवस्था करना हवाई बातें करने के समान है।

समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि छुट्टा मवेशियों को गौशालाओं में रखना पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनी गोशालाएं अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। पशुधन जनगणना बताती है कि आवारा मवेशियों की सबसे अधिक आबादी वर्ष 2012–2019 के बीच मध्यप्रदेश में 853971 बढ़ी है। जो कि प्रतिशत 95.01 हो गई है। अंतः राज्य सरकार को आवारा मवेशियों को कम करने के लिए अपनी रणनीति को व्यापक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मवेशियों की अपनी समझ में सुधार की जरूरत है। खासकर उन उपेक्षित नस्लों को समझना जरूरी है जिन्हें लोकप्रिय नस्लों के सामने दरकिनार किया गया है।

स्प्रिंगर जर्नल में 2018 में प्रकाशित एस.ए. मांडवगाने और बीडी कुलकर्णी का अध्ययन बताता है, कि देशी गाय का मूत्र कृषि में बायों पेस्टीसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उपज व मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने की रोकथाम, मच्छारों

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

को नियत्रिंत करने, रोगनाशक और मछलियों के भोजन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। गोबर से गैस बनाने का प्रचलन भी कई सालों से है। गाय के गोबर की राख का इस्तेमाल निर्माण गतिविधियों में किया जाता हैं'' गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का इस्तेमाल पंचगव्य बनाने में किया जाता है जिससे प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती आती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि इस समस्या का कोई प्रशासनिक समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में कृषि कर पाना भी एक सपने जैसे हो जायेगा। और कृषि उत्पादन में गिरावट आने से कृषि से उत्पादित वस्तुए भी सामान्य लोगों की अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने लगेगी। और गरीबी स्तर से नीचे के लोगों को भोजन की उपलब्धता न होने से भुखमरी का शिकार बनेंगे।

सुझाव

प्रस्तुत शोध पत्र में जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं के संबंध में सुझाव निम्नानुसार हैं :–

1. आवारा पशुओं का नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है इसलिए उन्हें उचित गौशालाओं का निर्माण तथा दूध देने वाली गायों को उचित व्यवस्था के साथ दूध उत्पादन भी किया जा सकता है। जिससे इन पशुओं के रख–रखाव का खर्च भी निकाला जा सकता है।
2. नस्ल सुधार कर किसानों को गाय दे सकते हैं, जिनसे इन आवारा पशुओं को नियंत्रित भी किया जा सकता है। जहां किसान अपनी फसल कटाई मशीनों से कर आग लगा देते हैं, ऐसे किसानों की फसल से निकला भूसा को इक्कठा कर इनके खाने की व्यापक व्यवस्था की जा सकती है।
3. उत्पादित गोबर गैस तथा गोबर खाद को खेतों में फसल उत्पादन के लिए किसानों को दे कर खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ कुछ खर्च भी कम किया जा सकता है। इन सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने के आवश्यकता है।
4. जिले के किसानों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान की चिंता हमेशा सताती रहती है, तारबंदी योजना के तहत खेतों की तारबंदी करने के बाद किसान अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से चिंतामुक्त हो सकते हैं,
5. खेतों की तारबंदी से अच्छी उपज के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षा मिलती है, और फसल रखवाली के लिए मजदूरों का खर्चा भी बचता है। तारबंदी करने से आस–पास के खेत के किसानों को एक तरफ से सुरक्षा मिलती है जिससे उनका खर्चा कम आता है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूती मिलेगी।
6. मवेशियों के कुल आबादी के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से (क्रॉसब्रीड एवं नॉन डिस्क्रिप्ट) पर आवारा अथवा परित्याज्य होने का खतरा मंडरा रहा है। इसको रोकने के लिए पहला उपाय यह हो सकता है कि तुरंत देशी और विदेशी पशुओं की क्रॉसब्रीडिंग पर रोक लगा दें। शोध संस्थानों को इसके बजाय देशी नस्लों के वीर्य का इस्तेमाल करना चाहिए।
7. ऐसी स्थिति में क्रॉसब्रीड नस्ल की मादा को फोस्टर माँ के रूप में इस्तेमाल करते हुए शुद्ध देशी गाय पैदा कराई जाएं। इस काम में एम्ब्रायो ट्रांसफर तकनीक प्रयोग की जा सकती है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 1, January 2024

8. देशी गायों के भ्रूण को तकनीकी माध्यमों से विकसित कर बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। शाोध कर्ता देशी नस्लों का ऐसा वीर्य विकसित करें जिससे कम मांग वाले बछड़ों की पैदाइश पर नियंत्रण लगाया जा सके। भारतीय नस्लों के साथ अच्छी बात यह है कि वे प्राकृतिक रूप से गुणवत्ता वाला दूध देती हैं जो मनुष्यों के लिए लाभप्रद है।
9. देशी गाय के दूध में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, आमेगा 3 फैटी एसिड और सेरेब्रोसाइड्स जैसे उपयोगी तत्व होते हैं। शोधकर्ताओं को देशी गाय के दूध के फायदों का सावधानीपूर्ण अध्ययन करना चाहिए।
10. इससे नॉन डिस्क्रिप्ट नस्लों की उपयोगिता बढ़ेगी, साथ ही भार ढोने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि मशीनीकरण के कारण भार ढोने में मवेशियों का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन दूरस्थ इलाकों में इनका उपयोग किया जा रहा है। विदेशी नस्लों के मुकाबले देशी नस्लों के और कई फायदे हैं, जिनका गहन अध्ययन और प्रोत्साहन जरूरी है।
11. देशी नस्ल के गोबर में बहुत से फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो विषाणुओं से फैलने वाले रोगों की रोकथाम करते हैं। ये प्राकृतिक प्यूरीफायर का भी काम करते हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि गाय का गोबर माइक्रो फलोरा का अच्छा स्रोत है जिसका प्रोबायोटिक में उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ स्रोत :–

[1]. कुमार, प्रमिला एवं श्री कमल शर्मा : कृषि भगोल, मध्य प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, चतुर्थ संस्करण, 1966
[2]. कुमार, प्रमिला (1977) म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन द्वितीय संस्करण।
[3]. म॰प्र॰ सामान्य ज्ञान, जैन एंव डॉ सोलकी, आकार प्रकाशन आगरा, पृष्ठ 20
[4]. तिवारी, आर.सी. एवं सिंह वी.एन. कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स प्रयागराज, 2023 पृ. 295,304
[5]. शर्मा, बी.एल. : कृषि भूगोल, साहित्य भवन, भवन, आगरा, 1988 पृ. 295
[6]. डॉ. मामोरिया एवं डॉ. जोशी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा सन् 2014, पृ.सं. 310
[7]. चतुर्भुज,डॉ. मामोरिया– भारत की आर्थिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2010–11.
[8]. अलका, गौतम : कृषि भूगोल , शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2009, पृ. 435
[9]. सिंह सविन्द, पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, प्रयागराज सन् 2021 पृ. सं. 480–485
[10]. हुसैन माजिद, ''कृषि भूगोल'', रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2008 पृ. 107–110